E-MAIL/FAX/SPEEDPOST

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.nic.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.nic.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No.22/2017

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 29.06.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 29.06.2017 - Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 137वीं बैठक दिनांक 29.06.2017 को 1600 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 137th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 16.00 hrs on 29.06.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
2. Amreeta Titus, Dy.Commissioner
3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
4. Ranbir Bose, Asst.Commissioner
5. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
6. V.A.Moideen Naina, Asst. Commissioner
7. M.S.Suresh, Asst.Commissioner
8. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
9. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
10. A.L.Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs

11. Baiju Daniel, Appraiser
12. V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1 Raj Vinod, Cochin Port Trust
2 Dr.Jesto George, FSSAI
3 V T Jadhav, Textile Committee
4 S S Sidhu, PQS
5. Milu Mathew, PQS
6 Santhosh Kumar, CFS(Falcon)
7 Rakesh K C CFS KSIE
8 A.A.Abdul Azeez, CCBA
9 V. Veeraraghav, CFS GDKL
10 Alex K Ninan, Sea Food Exporters Association of India
11 S.Ramakrishnan, Sea Food Exporters Association of India
12 P.M.Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce
13 Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce
14 A.K.Vijayakumar, FIEO
15 Antony Thomas, Kerala Chamber of Commerce
16 Dipin Kayyath, DP World
17 Dr.S Vijayakumar, MPEDA
18 Rabecca Jose, MPEDA
19 A.A.Fernandez,CCBA

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points there on was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई Action on minutes of Last Meeting

बिंदु सं. 1 : आईसीडी ओरिजिन निर्यात कंटेनरों की गेट-इन प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं (सीएसएए)

Point No.1. ISSUES i.r.o GATE IN PROCEDURE FOR ICD ORIGIN EXPORT CONTAINERS (CSAA)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि संबंधित अधिकारियों को मामला दर मामला आधार पर नौवहन बिल की प्रति से विवरणों को सत्यापित

किए जाने पर आईसीडी ओरिजिन निर्यात कंटेनरों को आईसीटीटी पर पहुंचने के तुरंत बाद 'गेट-इन' अनुमति देने के निर्देश दिए जाएंगे।

The Chair informed that the issue was considered and it is decided that the officers concerned would be given instructions to permit ICD origin export containers for 'Gate in' as and when arrives the ICTT on verifying the details with the copy of Shipping Bill on case to case basis. **(कार्रवाई: ए.ओ. (टी) Action: AO (T)**

सभी सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया।
All the members welcomed this decision.

बिंदु सं. 2: अन्य भारतीय बंदरगाहों पर निर्यात कारगो के ट्रैन्शिपमेंट के लिए टी.पी. की हार्ड कॉपियों की आवश्यकता (सीएसएए)

Point No.2. REQUIREMENT OF HARD COPIES OF T P FOR TRANSSHIPMENT OF EXPORT CARGO TO OTHER INDIAN PORTS (CSAA)

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आयात ट्रैन्शिपमेंट को पहले ही ओनलाइन बना दिया गया है, जबकि निर्यात ट्रैन्शिपमेंट के लिए ओनलाइन सुविधा अभी लागू की जानी है और यह भी कहा कि इस मामले को महानिदेशक सिस्टम के साथ उठाया जाएगा।

The Chair said that import transshipment is already made online whereas online facility for export transshipment is yet to be implemented and stated that this issue would be taken up with DG Systems.

(कार्रवाई : ईडीआई Action: EDI)

बिंदु सं. 6 : फ्रोज़न कंटेनरों को खोलने के लिए आरएमएस चयन में कठिनाई (एसईएआई)

Point No.6. DIFFICULTY IN RMS SELECTION FOR OPENING FROZEN CONTAINERS (SEAI)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले में एक पत्र पहले ही अग्रेषित किया जा चुका है और आरएमडी से जवाब का इंतज़ार है।

The Chair informed that a letter had already been forwarded and the reply from RMD is awaited in this issue.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु / FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

केंद्रीय औद्योगिक चैंबर, पालक्काड ने निम्नलिखित बिंदुओं को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

The Central Industrial Chamber, Palakkad have submitted the following points for discussion.

बिंदु सं.1 : आईसीईजीएटीई का बार-बार अनियमित कार्यकरण
Point No.1. Frequent erratic performance of Icegate:

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि जैसाकि पहले चर्चा की गई थी, आईसीईजीएटीई के कार्य में रुकावट का कारण शायद जीएसटी मोड्यूल का कार्यान्वयन हो सकता है।

The chair informed that as already discussed, the interruption in the performance of Icegate, may be due to implementation of GST module.

बिंदु सं. 2 : सीबीईसी अधिसूचना सं. 26 और 27 दिनांक 31.03.2017 के अनुसार जुर्माना माफ करने के लिए अनुरोध

Point No.2. Request for waiver of penalty as per Cbec Notfn.26 and 27 dated 31.3.2017.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले पर भी पहले चर्चा की गई थी और सूचित किया कि अपर आयुक्त को जुर्माना माफ करने का अधिकार दिया गया है और लगभग सभी आवेदनों के संबंध में इस पर उदार रूप से विचार किया जा रहा है।

The Chair said that this too is an already discussed issue, and informed that Addl. Commissioner is empowered for waiver and it is considered liberally also in almost all the requests.

बिंदु सं. 3 : आरओएसएल दावों के निवारण के लिए अनुरोध

Point No.3. Request for release of ROSL claims

उन्होंने कहा कि आरओएसएल (राज्य लेवियों में छूट) की घोषणा पिछले अगस्त में की गई थी और इसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 20 सितंबर से लागू किया गया था और अनुरोध किया कि आरओएसएल दावों का जल्द से जल्द निवारण किया जाए।

They submitted that ROSL (Rebate on State Levies) was announced in last August and implemented from 20th September vide notification issued by the Ministry of Textiles and requested for release of ROSL claims at the earliest.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आरओएसएल दावों के लिए वित्त मंत्रालय को निधि रिलीज़ करने का कार्य वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार, स्क्रोल तैयार किए जाते हैं और विभाग द्वारा मंत्रालय को अग्रेषित किए जाते हैं। इसलिए इस मामले को वस्त्र मंत्रालय के साथ उठाया जाना चाहिए।

The Chair informed that release of funds to Finance Ministry for ROSL claims, is done by the Ministry of Textiles. Accordingly, scrolls are generated and forwarded to the Ministry by the department. Hence, this needs to be taken up with the Ministry of Textiles.

बिंदु सं. 4 : आयात के लिए ए.डी. कोड पंजीकरण की सरलीकृत औपचारिकताओं हेतु अनुरोध

Point No.4. Request for simplified AD code Registration formalities for Import.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से आरबीआई की है और इस मामले में विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

The Chair stated that this is purely an RBI procedure and department has no role in this matter.

बिंदु सं. 5 : आरबीआई साइट पर नौवहन बिल के ब्यौरे नहीं दर्शाए जाना (आईसीसी एण्ड आई)
Point No.5.Non reflection of Shipping Bill details on RBI site (ICC&I)

इंडियन चैंबर ऑफ कोमर्स एण्ड इंडस्ट्री के श्री एब्रहाम फिलिप ने सूचित किया कि किसी-किसी दिन आरबीआई साइट पर नौवहन बिलों के ब्यौरे नहीं दर्शाए जाते हैं।

Shri Abraham Philip of Indian Chamber of Commerce & Industry informed that the Shipping Bill details are not seen reflected in the RBI sites on certain days.

श्री भुवनचंद्रन ने कहा कि इस मामले को आईसीईजीएटीई को संदर्भित किया गया है और ब्यौरे आईसीईजीएटीई पर उपलब्ध थे। यह मालूम नहीं है कि आईसीईजीएटीई और आरबीआई के बीच ये ब्यौरे कहां अटक जाते हैं।

Shri Bhuvanachandran stated that the matter was referred to ICEGATE and the details were available in ICEGATE. It is not known where the details were held up in between from Icegate and RBI.

*अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि अगर निश्चित विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो मामला **आईसीईजीएटीई को संदर्भित** किया जा सकता है।*

The Chair informed that with specific details, if submitted, the issue can be referred to ICEGATE. **(कार्रवाई : ईडीआई Action:EDI)**

बिंदु सं. 6 : डीपीडी कंटेनरों की बी.ई. सीमाशुल्क गृह में तैयार करना (आईसीसी एण्ड आई)
Point No.6.Generating the B.E. of DPD Containers in Custom House (ICC&I)

आईसीसी एण्ड आई के प्रतिनिधि ने कहा कि मुंबई सीमाशुल्क में डीपीडी कंटेनरों के बिल सीमाशुल्क गृह में ही जनरेट होते हैं और कंटेनरों को सीधे पोर्ट से डेलिवरी दी जाती है तथा कोचिन में भी समान सुविधा देने का अनुरोध किया, जहां बिल सीएफएस से जनरेट किए जाते हैं।

The representative of ICC&I stated that in Mumbai Customs, Bills of DPD containers are generated in Custom House and the containers are given delivery direct from the Port and requested for similar facility in Cochin, where the Bills are generated in a CFS.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि कोचिन में भी डीपीडी कंटेनरों को सीधे पोर्ट से डेलिवरी दी जाती है। क्योंकि सीएफएस क्यू 10 को ऐसे कन्साइन्मेंटों के आगम पत्रों को जनरेट करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए उस सीएफएस में प्रिंट आउट लिया जाता है, जोकि सीमाशुल्क गृह के नज़दीक ही स्थित है। उन्होंने कहा कि इस अनुरोध पर विचार करने से पहले सभी पणधारियों की सहमति आवश्यक है।

The Chair informed that in Cochin too, the DPD containers are given delivery directly from the Port. As CFS Q10 is designated for generating Bills of Entry of such consignments, taking printout is carried out in the CFS which is located very near to Custom House. He said that this request needs the consensus of all the stake holders before consideration.

बिंदु सं. 7 : प्रिंट आउट न निकलने के मामले में मैन्युअल ओओसी के लिए अनुरोध (सीसीबीए)
Point No.7. Request for Manual OOC in case of failure of Print-out (CCBA)

सीसीबीए के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि आगम पत्रों के प्रिंट आउट न निकलने की विशेष परिस्थितियों में उप/सहा.आयुक्त को मैन्युअल ओओसी की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करते हुए मुबई सीमाशुल्कने एक व्यापार सुविधा जारी की है। उन्होंने कोचिन में भी समान व्यापार सुविधा जारी करने का अनुरोध किया।

The representatives of CCBA informed that Mumbai Customs had issued a Trade Facility authorizing DC/AC to allow Manual OOC in exceptional circumstances where there is failure of print-out of Bills of Entry. They request for similar Trade facility in Cochin.

अध्यक्ष महोदयन से सूचित किया कि इस मुद्दे पर मामला दर मामला आधार पर व्यापार सुविधा जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

The Chair informed that this issue can be considered on case to case basis on issuance of a Trade facility.

(कार्रवाई एओ (टी) Action AO(T)

बिंदु सं. 8 : सीजीएसटी के तहत अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज़ों का विवरण (आईसीसी एवं ए)
Point No.8. Details of the additional documents required under CGST (ICC&A)

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सीजीएसटी के तहत, केवल पीएएन सं. या अस्थाई आईडी सं. की घोषणा ही अपेक्षित है और कोई अन्य अतिरिक्त दस्तावेज़ अपेक्षित नहीं हैं। बीई और नौवहन बिलों में परिवर्तन पहले ही किए गए हैं और ये 01 जुलाई से लागू होंगे। एआरई फार्म की अभी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तथापि, इस संबंध में बोर्ड द्वारा तत्काल अनुदेश जारी किए जाएंगे और सीबीईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। व्यापार समुदाय को, विभाग द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के माध्यम से, जीएसटी के संबंध में अनुदेश पहले ही उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, इसलिए उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संबंध में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर पुन: ज़ोर दिया कि जीसटी के संबंध में आयात और निर्यात से संबंधित मामलों पर व्यापार जगत सदैव विभाग से संपर्क कर सकता है।

The Chair informed that under CGST, only declarations such as PAN No. or Provisional ID No. are required and no additional documents. Changes in the format of B E and Shipping bills had already been made and would be effective from 1st of July. ARE1 forms would no more be required. However, instructions on this line would be issued by the Board immediately and be available in the Cbec website. As the Trade community had already been equipped with the instruction regarding GST, through the training imparted by the department, he hoped that there would not be any problem. However, he reiterated that the department is always approachable to the trade on the issues related with import and export in connection with GST.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks and with a request to all to be ready for GST. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao)

प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख **Dated 10.07.2017.**

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. Usha)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत **Submitted to:**

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित **Copy to : Additional Commissioner**
All D.Cs & A.Cs
All members